न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—149/2017/223 (2017/00149)

1. सेहसमल पुत्र शिव नारायण कुमावत,
2. राधाकिशन पुत्र सेहसमल कुमावत,
   जाति कुमावत, निवासी सोहन नगर, प्यारे लाल बगीची मार्ग, सेन्दड़ा रोड़ ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामेश चन्द पुत्र घीसूलाल,
2. सुश्री भावना पुत्री रमेश चन्द कुमावत
   जाति कुमावत, निवासी कुमावत कॉलोनी, फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर ।
3. श्रीमती नीना देवी पत्नी श्रवण कुमार,
4. पुष्पेन्द्र पुत्र स्व0 श्रवण कुमार, आयु करीब 13 वर्ष,
5. सुश्री राधिका पुत्री स्व0 श्रवण कुमार आयु करीब 12 वर्ष,
   रेस्पो0 संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली श्रीमती नीना देवी पत्नी स्व0 श्रवण कुमार,
   जाति कुमावत, नि0 सोहन नगर, प्यारे लाल बगीची मार्ग, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. उप पंजीयक अधिकारी, ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 1.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 17/2015.

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 19.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के इस आशय का पेश किया कि

मौजा गोविन्दपुरा पटवार हल्का नून्दरी मालदेव, तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नंबर 429 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नंबर 430 रकबा 3–12–10 स्थित है । उक्त भूमियों में से खसरा नंबर 429 श्रीमती रामेश्वरी देवी के नाम तथा खसरा नंबर 430 सेहसमल के नाम खरीद किया गया है लेकिन वास्तविकता में दोनों खसरा नंबर की भूमियों को खरीदने में सेहसमल ने अपनी कमाई नहीं लगाई है बल्कि सेहसमल ने अपनी पुश्तैनी सम्पति को बेचकर उक्त भूमियां खरीद की है । सेहसमल एवं श्रीमती रामेश्वरी देवी का सजरा वादपत्र की चरण संख्या 3 में दर्शाया गया है । रामेश्वरी देवी का स्वर्गवास दिनांक 9.4.2012 को हुआ उससे पूर्व उनकी पुत्री स्व0 श्रीमती अनिता देवी पत्नी रमेशचचन्द का स्वर्गवास दिनांक 20.4.2007 को हो गया तथा इसके पश्चात् रामेश्वरी देवी के पुत्र श्रवण कुमार का स्वर्गवास दिनांक 1.6.2014 को गया । रामेश्वरी देवी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिस उनके पति सेहसमल तथा उनके दो पुत्र श्रवण कुमार एवं राधाकिशन व उनकी पुत्री अनिता वारिस हुई तथा श्रवण कुमार के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 है तथा अनिता देवी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिस वादीगण है । इस प्रकार उक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की नियत में खराबी आ गई तथा वे उक्त भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 22.2.2015 को हुई । इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वादीगण को विवादित आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं भूमि का बंटवारा किया जाकर उक्त भूमि बाबत् वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम किया जावे तथा राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम की जाकर वादीगण को उनके 1/4 हिस्से की भूमि पर अलग से कब्जा दिलवाया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 1.6.2017 द्वारा वाद को आंशिक रूप से डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने बगैर प्रतिवादीगण की सहमति के उक्त वादपत्र की आदेशिका पर उनकी हाजरी दर्ज करते हुए यह मान लिया कि उनके द्वारा राजीनामा किया गया है । इस आधार पर उक्त वाद में अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जबकि प्रतिवादीगण हाल अपीलांटस संख्या 1 व 2 से यह कहा गया था कि केवल आपकी हाजरी हेतु आप आदेशिका पर हस्ताक्षर कर दो ओर यदि आप राजीनामा नहीं करना चाहते है तो इसमें आगामी तारीख पेशी नियत कर दी जावेगी परन्तु उनकी हाजरी दर्ज करने हेतु किये गये दस्तखत को राजीनामा हेतु किये गये दस्तखत मानते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण के अभिभाषक की गैर मौजूदगी में उक्त दस्तखत आदेशिका पर करवाये गये थे अन्यथ यदि वादीगण उक्त प्रकरण में राजीनामा करते तो उनके अधिवक्ता द्वारा उनकी पहचान की जाती एवं राजीनामा हेतु उनसे लोक अदालत में किये जाने वाले राजीनामे बाबत् फार्म भरवाया जाता जिस पर भी उनके अधिवक्ता के द्वारा पहचान हेतु दस्तखत करते । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उभयपक्ष के द्वारा उन्होंने

बहस सुनी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा किसी भी प्रकार का पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं रखा जाकर उन्होंने केवल अपनी हाजरी दर्शाने हेतु आदेशिका पर दस्तखत किये थे न कि प्रकरण में राजीनामे बाबत्। अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की तलबी को पूर्ण माना है कि जबकि आदेशिका से स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि दिनांक 21.3.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 के नोटिस पुनः पेश करने हेतु वादीगण को आदेश दिये गये थे परन्तु वादीगण ने उक्त प्रकरण में 3 से 5 के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये एवं प्रकरण तलबी हेतु नियत था इसलिये उक्त प्रकरण में अंतिम तौर पर सुनवाई नहीं की जा सकती थी परन्तु फिर भी अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की तलबी को पूर्ण मानने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण को उक्त सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि उक्त सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 रामेश्वरी देवी की स्वअर्जित सम्पति थी । उक्त सम्पति किसी भी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 श्रीमती रामेश्वरी देवी ने पुश्तैनी सम्पति को बेचान कर क्रय नहीं की थी बल्कि स्वंय की आय से अर्जित की है । अधी0न्याया0 ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दावे के निस्तारण हेतु दिये गये आवश्यक प्रावधानों से विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । स्व0 श्रीमती अनिता देवी का स्वर्गवास दिनांक 20.4.2007 को हो चुका था एवं उनकी माता श्रीमती रामेश्वरी देवी का स्वर्गवास दिनांक 9.4.2012 को हुआ है इसलिये वादीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान की श्रेणी में नहीं आते है इसलिये भी वादीगण को उक्त सम्पति में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 429 मिन रकबा 1–12–00 में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों की पुष्टि में आर0बी0जे0 2018 पेज 676 हेड नोट–बी, ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज 1209 हेड नोट–ए व सी के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है । आराजी खसरा नंबर 429 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नंबर 430 रकबा 3–12–10 स्थित है । उक्त भूमियों में से खसरा नंबर 429 श्रीमती रामेश्वरी देवी के नाम तथा खसरा नंबर 430 सेहसमल के नाम खरीद किया गया है लेकिन वास्तविकता में दोनों खसरा नंबर की भूमियों को खरीदने में सेहसमल ने अपनी कमाई नहीं लगाई है बल्कि सेहसमल ने अपनी पुश्तैनी सम्पति को बेचकर उक्त भूमियां खरीद की है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की पत्नि व माता अनिता देवी मृतक श्रीमती अनिता देवी पत्नि सेहसमल की पुत्री है जिससे वादीगण का भी विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है । विवादित आराजियात सेहसमल की स्वअर्जित सम्पति नहीं है क्योंकि उक्त आराजियात पुश्तैनी सम्पति को बेचकर क्रय की गई थी जिससे वादीगण की पत्नि एवं माता का भी विवादित आराजियात में हक व अधिकार निहित होने से वादीगण श्रीमती अनितादेवी के विधिक वारिसान होने से 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का यह

कथन कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा कोई राजीनामा नहीं किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद राजीनामे के आधार पर निर्णित किया है । इस संबधं में अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री में कहीं भी राजीनामे के आधार पर वाद को डिक्री करने का उल्लेख नहीं किया है बल्कि अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि खसरा नंबर 429 मीन रकबा 1–12–00 को श्रीमती रामेश्वरी देवी के नाम दर्ज होने से उक्त आराजियात में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा होना मानते हुए वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है तथा खसरा नंबर 430 के संबंध में वादीगण का वाद निरस्त किया है । अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 429 मीन में वादीगण का हक व अधिकार का मुख्य आधार बेचाननामा दिनांक 10.10.2014 को माना है । उक्त विक्रय पत्र में रामेश्वरी देवी की जायदाद मानते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने सम्मिलित रूप से उक्त सम्पति का बेचान किया है । जब उक्त रामेश्वरी देवी की सम्पति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से बेचान किया गया है तो मृतक रामेश्वरी देवी के नाम दर्ज खसरा नंबर 429 मिन रकबा 1–12–00 बीघा भूमि में वादीगण के हक व अधिकार से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादीगण मृतक रामेश्वरी देवी की पुत्री स्व0 अनिता के विधिक वारिसान है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर